


20 SEP 2022

Dated.....

Book No.....S.No. 62

प्रपत्र-ख
शपथ-पत्र



में, ममता भारती

पिता/पति रघुचिन कुमार

उम्र 34 वर्ष, *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत मुजफ्फरपुर के वार्ड संख्या 17

मोहल्ला बालुवाट, पोस्ट प्रधान, थाना नगर, जिला मुजफ्फरपुर

बिहार का निवासी हूँ, तथा शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ:-

कि मैं अपना नाम निर्देशन पत्र *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत मुजफ्फरपुर के

वार्ड संख्या 18 के *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन हेतु दाखिल कर रहा/रही हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के उपबन्धों से पूर्णतः अवगत हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के तहत *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर

पार्षद पद के निर्वाचन के लिए अथवा निर्वाचन के बाद अपने पद पर बने रहने के लिए अनर्हित नहीं हूँ;

कि संलग्न अनुसूचित में मेरे द्वारा अंकित की गई सूचनाएँ मेरे विश्वास एवं जानकारी में सही और सत्य है।

1. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर - [Signature]

नाम- विजय साकुर

पता- बालुवाट ग्राम-नगर
पोस्ट-प्रधान जिला-मुजफ्फरपुर

Mamta Bharti

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

2. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर [Signature]

नाम- राज कुमार वर्मा

पता- बालुवाट ग्राम-नगर, पोस्ट-
प्रधान जिला-मुजफ्फरपुर

[Signature]
Advocate
20/9/2022
182/164/12

स्थान : मुजफ्फरपुर
The Deponent Identified
by Advocate has Solemnly
affirmed declared before me

दिनांक : 20.9.2022

लगातार

[Signature]
Pratibha Kumari
Civil Court, Muzaffarpur
Notary Regd. 6047/22

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

नोट : कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोटरी पब्लिक/ओथ कमिश्नर के समक्ष शपथ ली जाएगी।

20/9/22

गणनालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र के साथ दी जाने वाली सूचनाओं का प्रपत्र

मुजफ्फरपुर जिला के *नगर निगम/*नगर-परिषद/*नगर-पंचायत मुजफ्फरपुर के वार्ड संख्या 18 से *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद का निर्वाचन।
अभ्यर्थी का नाम- ममता भारती
पिता/पति का नाम- सचिन कुमार

1. क्या आप देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा कभी कारावास या अर्थदण्ड से दंडित किये गये हैं- नून
- (क) यदि हाँ, तो निम्न विवरण अंकित करें:- नून
- (i) न्यायालय का नाम जिसके द्वारा दंडित किये गये- नून
- (ii) दंडित किये जाने की तिथि एवं वाद संख्या- नून
- (iii) किये गये अपराध की प्रकृति- नून
(अधिनियम एवं धाराओं का विवरण सहित)
- (iv) दिया गया दण्ड- नून
- (v) काराधीन रहने की अवधि, यदि कोई हो- नून
- (vi) कारावास से मुक्त होने की तिथि- नून
- (ख) उपरोक्त दण्डादेश के विरुद्ध कोई अपील/पुनर्विचार का आवेदन दायर किया गया है या नहीं? नून
- (i) अपील संख्या/पुनर्विचार आवेदन पत्र, यदि कोई हो, का विवरण- नून
- (ii) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र दायर किया गया- नून
- (iii) क्या दायर अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र निष्पादित हो चुका है अथवा लंबित है- नून
- (iv) यदि निष्पादित है, तो नून
- (क) निष्पादन की तिथि- नून
- (ख) पारित आदेश का संक्षिप्त विवरण- नून
- (v) क्या अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र के विचारण के दौरान कोई जमानत दिया गया- नून
- (vi) यदि हाँ, तो जमानत पर मुक्त रहने की अवधि- नून
- (ग) क्या आप किसी न्यायालय में किसी अपराध में दोषमुक्त (acquittal) या उन्मोचित (discharge) किये गये हैं, यदि हाँ तो निम्न विवरण दें- नून
- (i) न्यायालय जिसके द्वारा दोषमुक्त किये गये हैं- नून
- (ii) आरोप की प्रकृति एवं वाद संख्या- नून

2. क्या आप नामांकन दाखिल करने की तिथि के छः माह पूर्व देश के भीतर या बाहर जैसे किसी लंबित मामले में आरोपित हैं और उसमें आरोप तैयार कर लिया गया है अथवा सक्षम विधि न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, जिसमें छः माह से ज्यादा की सजा हो सकती है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें:- शून्य

- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है। संज्ञान लिया गया है- शून्य
- (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- शून्य
- (iii) अपराध संख्या शून्य
- (iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- शून्य
- (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- शून्य

3. क्या आपके विरुद्ध उक्त कंडिका (2) में वर्णित मामले से भिन्न किसी अन्य मामले में देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें- शून्य

- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है/ संज्ञान लिया गया है- शून्य
- (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- शून्य
- (iii) अपराध संख्या- शून्य
- (iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- शून्य
- (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- शून्य

4. यदि कोई निर्वाचन संबंधित अपराध लंबित हो, तो पूर्ण विवरण- शून्य

5. अपनी परिसम्पत्ति अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित का विवरण निम्नवत है:-

- (क) अचल सम्पत्ति:-
 - (i) कृषि भूमि :- शून्य
 - (ii) शहरी भूमि- शून्य

(iii) भवन- एक उदा पुस्तैनी मठान जो अल्पाजी के (सात-सठ) उददिग सखर के नाम पर है के तीन (उपिनाजी) तल्ला पम्मा मठान अश्रुमानित धरन 48,00,000/-

उपरोक्त की स्थिति, माप तथा वर्तमान बाजार मूल्य दिया जाए।

(ख) चल सम्पत्ति तथा उनकी वर्तमान कीमत:-
(i) नकद 80,000/-

(iii) फिक्स डिपोजिट शून्य
(प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

(v) वाहन प्लसर मीटर खानडिल
BROSCHE 1484
(निबंधन की छाया प्रति जिसका परिवहन
पदाधिकारी की मुहर के साथ संलग्न करें) 90,000/-

6. ** (क) अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित के दायित्वों/
वित्तीय संस्थाओं के बकायों का पूर्ण विवरण दिए जाएं
(प्रमाण-पत्रों के साथ)

बैंक ऑफ बड़ोदा, अरवाड़ा जाल
मुजम्मरपुर ग्राण्ड 2,00,000/- की
लारव डा कृण (पति का)

(ख) अगर के.सी.सी. है तो उसके अद्यतन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति शून्य

7. अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण स्कूल व कॉलेज
के नाम के साथ अंकित करें-

मैट्रीड - मकीन आर्कशा एन्च. एस.
मुड्डबाजा पटना
इन्टर - जर्बमेन्ट जालखंडोलेज, गुलजार बाण
बी.ए. - जर्बमेन्ट जालखंडोलेज, गुलजार बाण
एम.ए. - जालदा खुषा विश्वविद्यालय, पटना

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही और सत्य हैं।

स्थान- मुजम्मरपुर

तिथि- 23.9.2022

Mamta Bharti
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

** वित्तीय संस्था/बैंक/सरकार/आयकर/वैल्य टैक्स/प्रोपर्टी टैक्स/बिक्री कर संबंधी बकाया।

नोट :- सभी स्तम्भ निश्चित रूप से भरे जायें। जहाँ शून्य विवरण देना हो वहाँ "शून्य" अवश्य अंकित किया जाय।
स्तम्भ खाली छोड़ देने अथवा (X) चिह्न अंकित करने पर यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा सूचना छिपाने की चेष्टा की गई है और यह नामांकन पत्र रद्द करने का आधार बन सकता है।